तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/019	वकील पक्षकारान 36 जवाब के अवकाश चाही। आदेश पश्चात जवाब व अग्रिम आदेश 022R-3 CPC दि. 19/3/019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
19/3/019	वकील पक्षकारान 36 वकील प्रतिवादी ने आदेश का जवाब पेश किया। पत्रावली शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश 1 022R-1 CPC व 2 022R-3 CPC दिनांक 1/4/019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
1/4/019	वकील पक्षकारान 36 आदेश वादिगण-2 अन्तर्गत 023 R-01 CPC पर वकील उभय पक्ष के बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादिगण-2 ने आदेश 023R-1 CPC के तहत वादिया श्रीमती की मृत्यु होने के कारण इस दावे की मार्फत जवाब नहीं चाहते हैं इसलिये दावे से विड्रा करने की अनुमति चाही है। जवाब में वकील प्रतिवादिगण ने निवेदन किया कि वादिया की मृत्यु के बाद प्रति 4 शब्दों में पत्रावली लायी गयी है इसलिये वादी-2 को उक्त हाड विड्रा करने का अधिकार नहीं है आदेश रद्द किया जावे। दावे, जवाब व वकीलों के बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड मुताबिक वादी श्रीमती की मृत्यु हो चुकी है इसलिये आदेश अन्तर्गत 023R-1 CPC स्वीकार किया जाकर दावा विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बाद वादीगण विड्रा करने से इस दावे पर खारिज किया जाता है। वादी-2 का अन्य दावा पेश करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जगदीश आर्य) RAS उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	

Scanned by CamScanner